Vol 4 Issue 5 June 2014

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Volume-4 | Issue-5 | June-2014
Available online at www.isrj.net

शिक्षा से संबंधित संवैधानिक एवं नीतिगत निर्णयः वर्तमान परिपेक्ष्य एवं समालोचना

आर. एस. पथनी , ललित मोहन जोशी

आचार्य, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस. एस. जे. परिसर, अल्मोड़ा।
शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस. एस. जे. परिसर, अल्मोड़ा।

सारांश **:-**संविधान निर्माण करने वाले प्रबुद्ध विद्वजनों ने संविधान में शिक्षा हेतु अनेक उपबंधों की व्यवस्था की है। इन उपबंधों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति हेतु सर्वसुलभ कराने का हर संभव प्रयत्न किया है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि यदि राष्ट्र को शीघ्रातिशीघ्र विकास के पथ पर अग्रसारित करना हो तो इसके लिए केवल एक ही साधन उपलब्ध है और वह साधन है शिक्षा। शिक्षा एवं साक्षरता के प्रचार–प्रसार तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न आयोगों एवं शिक्षा नीतियों का गठन किया गया। इनमें, "विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग", "माध्यमिक शिक्षा आयोग", "शिक्षा आयोग" एवं "नई शिक्षा नीति" विशेष रुप से उल्लेखनीय है। इन सभी आयोगों ने अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र, यथा उद्देश्य, अवधि, पाठ्यक्रम, माध्यम, शिक्षण विधियों एवं परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिससे शिक्षा के गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनो पक्षों में वृद्धि की जा सके। सं. प्र. ग. सरकार (2009) द्वारा लिये गये शैक्षिक नीतिगत निर्णय इसी कम में महत्वपूर्ण हैं परंतु प्रतिबद्धता एवं जागरुकता के अभाव, राजनैतिक उदासीनता, स्वार्थ, आर्थिक संसाधनों के अभाव एवं कुछ सीमा तक इन सुझावों में ही व्यावहारिकता के अभाव के कारण इन सुझावों में से अधिकांश को लागू नहीं किया जा सका। इस कारण शिक्षा व्यवस्था में विहित दोष तब से लेकर अब तक यथाविद्यमान ही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक एवं नीतिगत निर्णयों का वर्तमान परिपेक्ष्य में समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना :

भारत का संविधान भारतीय जनमानस के जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन माना गया है। संविधान के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माताओं द्वारा ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था में निहित दोषों, यथा – निस्यंदन सिद्धान्त, शिक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी की अपरिहार्यता, धर्म के आधार पर विद्यालयों की स्थापना इत्यादि को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। इन प्रयासों की परिणति अनुच्छेद 41, 45, 46 के अन्तर्गत दिखाई देती है। इसके साथ ही संविधान के अन्तर्गत शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों यथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भाषायी व धार्मिक रुप से अल्पसंख्यकों के लिये विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया। यथा अनुच्छेद 15 (4) जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि – इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि– इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसी कम में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 56 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग" की स्थापना, अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण तथा अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की दशों के अन्वेषण के लिये आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए संविधान में स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रबंध किये गये हैं। इस संदर्भ में अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध एवं अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु तथा शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति हेतु समय–समय पर संविधान में संशोधन भी किये गये हैं। इनके अन्तर्गत 86वाँ संविधान संशोधन 2002 विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं।इस संशोधन के माध्यम से

मूल अधिकारों के अन्तर्गत एक नवीन अनुच्छेद 21 (ए) जोड़ा गया है। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद स्थापित किया गया है जिसके अनुसार – राज्य 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों के अन्तर्गत 51 (के) में यह व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता–पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करें। तत्पश्चात 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे देश (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में लागू कर दिया गया है।

नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। ये सभी शिक्षा के विविध स्तरों सम्बद्ध थे। देश की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने तथा इसकी न्यूनताओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिये भारत सरकार ने सन् 1964 में डॉ डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में "शिक्षा आयोग" की नियुक्ति की। इस आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने सम्पूर्ण शिक्षा का अध्ययन (चिकित्सा व कानून शिक्षा छोड़कर) कर इसके सभी पक्षों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किये। शिक्षा आयोग में देश विदेश के अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वानों को स्थान दिया गया था। इन सभी को अपने –अपने क्षेत्रों का विस्तृत अनुभव था अतः इन्होने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय सुझाव दिये थे। इन सुझावों में प्रमुख थे–

शिक्षा का नवीन संगठन
विज्ञान की शिक्षा पर बल
प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल
शैक्षिक अवसरों की समानता
प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन की आवश्यकता
प्रतिभाशाली छात्रों की खोज और शिक्षकों की स्थिति में उन्नयन

उपर्युक्त सुझावों के परिणामस्वरुप आज भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर को प्रभावी एवं गुणवत्ता युक्त बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने के कारण छात्रों की इनमें रुचि बढ़ रही है। हमारी तकनीकी शिक्षण संस्थाएं भी विश्व में सराही जा रही हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुँहमांगे वेतन पर अपने प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर रही हैं।

आयोग के सुझावों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह तथ्य सामने आता है कि इनमें सरलता के बजाय जटिलता है। व्यवहारिकता के बजाय आदर्शवादिता है। इनकी पूर्ति के लिये अपार धन की आवश्यकता है। इसी कारण अनेक क्षेत्रों में यथा 'समान विद्यालय प्रणाली', 'शैक्षिक अवसरों की समानता' एवं 'निर्देशन' को प्रत्येक छात्र हेतु सर्वसुलभ नहीं किया जा सका है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता तो अभी भी दूर की कौड़ी है। इन सभी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण आयोग के अधिकांश सुझावों को लागू नहीं किया जा सका तथा इस से संबंधित अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं हो सकी।

शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से 1986 में नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। इसके सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" में शिक्षा हेतु निर्धारित व्यय को राष्ट्रीय आय के 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने पर बल दिया गया। संपूर्ण देश में पाठ्यक्रमों/शैक्षिक स्तरों को एकरूपता एवं समरूपता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अर्थात कोर पाठ्यक्रम की संकल्पना, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व, विश्वविद्यालयी स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी परंतु निर्धन छात्रों के लिये गति निर्धारक विद्यालय (नवोदय विद्यालयों की स्थापना) महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास, मूल्य आधरित शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था करना इस शिक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" में विभिन्न दिशा निर्देशों का विवरण प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर 1988 से 36 एकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों के माध्यम से विश्वविद्यालयी स्तर के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 1998 में 'नेशनल ओपन स्कूल' की स्थापना की गई जिसे 2002 से "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग" के रूप में विकसित कर लिया गया है। 1985 में "इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय" (इग्नू) की स्थापना भी कर दी गई। कम्प्यूटर शिक्षा का आरम्भ तथा उपाधि को सेवा से अलग करना भी इस शिक्षा नीति की विशेषता रही है। "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" एवं "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" (डी. आई. ई. टी.) के रूप में यह नयी शिक्षा नीति की प्राथमिक शिक्षा को प्रदान की जाने वाली अनुपम देन है।

नयी शिक्षा नीति के प्रत्येक भाग में शैक्षिक व्यवस्था के विकास एवं मानवीय संसाधनों की देखरेख के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जो स्वीकार करने योग्य हैं परंतु मात्र इन्हें स्वीकार करने से ही कार्य की इतिश्री नहीं हो जाती क्योंकि स्वीकारोक्ति के साथ–साथ इनके लिये प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है यथा "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापकों जिनमें से एक महिला होगी, दो बड़े कमरे, आवश्यक शिक्षण सामग्री, खिलौने एवं शौचालय इत्यादि होंगे। इन अपरिहार्य संसाधनों के अभाव से प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति का ज्ञान होता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ प्राथमिक विद्यालयों में भवन एवं अन्य सहायक सामग्री का अभाव होने पर भी वहाँ पर कार्यरत शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रयासों एवं प्रतिबद्धता के कारण उनके शिक्षण स्तर में वृद्धि हुई है। परंतु अब भी अधिकांश विद्यालय न्यूनतम अधिगम स्तर के मानकों को प्राप्त करने मे असफल रहे हैं।

इसी प्रकार 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। ऐसी ही स्थिति गतिनिर्धारक विद्यालय (नवोदय विद्यालयों) की भी है। इनकी स्थापना का उद्देश्य तो ग्रमीण क्षेत्र के मेधावी परंतु निर्धन छात्रों को निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना था परंतु सूचनाओं की सर्वसुलभता के अभाव में तथा प्रवेश व्यवस्था की न्यूनताओं के कारण इसका लाभ जरूरतमंद छात्रों को न मिलकर उन छात्रों को मिल रहा है जिनके पास गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिये सभी साधन पहले से विद्यमान हैं।

यद्यपि पत्राचार माध्यम ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयत्न किया परंतु व्यक्तिगत परीक्षा की उपलब्धता के कारण धीरे–धीरे पत्राचार माध्यम से व्यक्तियों की रुचि कम हो रही है। व्यक्तिगत परीक्षा को तरजीह देने का एक कारण यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें छात्र को सम्पूर्ण शुल्क मात्र एक ही बार जमा करना होता है। जबकि पत्राचार पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क के साथ–साथ कुछ अन्य शुल्क भी देने होते हैं।

तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के घनिष्ठ संबंध और पूरक उद्देश्यों पर बल देना भी नई शिक्षा नीति का स्वागत योग्य कदम है तथा इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया है। इसी कारण देश में स्थापित आई. आई. टी. एवं आई. आई. एम. की गिनती विश्व के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में होती है।

कम्प्यूटर शिक्षा पर बल देने के कारण आज हमारे देश का सूचना तकनीकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा इस क्षेत्र के भारतीय विशेषज्ञों की देश विदेश में व्यापक मांग है। शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में स्कूल स्तर से ही कम्प्यूटर शिक्षा व्यापक स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। परंतु स्थिति का एक दूसरा पहलू यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र अभी तक इस क्रान्ति से उचित ढंग से लाभान्वित नहीं हो सके हैं, यद्यपि कार्यालयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में तो कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है परंतु विद्यालयों में इनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। कम्प्यूटर विद्यालयों में पहुँच तो अवश्य गये हैं परंतु इन्हें प्रयुक्त करने के लिये विद्युत एवं प्रशिक्षित अध्यापक न होने के कारण यह मूल्यवान उपकरण व्यर्थ की धूल फांक रहे हैं।

नयी शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था को कारगर बनाने, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया रूप देने, शिक्षक एवं अध्यापक शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं परंतु घूम–फिरकर यह सुझाव प्रतिबद्धता तक पहुँच कर दम तोड़ देते हैं। शिक्षा के प्रबंध के अंतर्गत नयी शिक्षा नीति से यह उम्मीद थी कि शिक्षा को किसी एक तंत्र के अधीन रखा जाएगा परंतु पुनः शिक्षा व्यवस्था में सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा निजी तीनों तंत्रों का वर्चस्व रखकर पुरानी प्रणाली को ही जारी रखा गया है अतः शैक्षिक प्रबंध में इससे किसी नवीनता की की स्थापना नहीं की जा सकी। नयी शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था हेतु इस क्षेत्र में अधिक पूँजी के निवेश की बात कही गयी है। वर्तमान में भी इस क्षेत्र में प्रयास जारी है। शिक्षा नीति के अंतिम भाग में शैक्षिक पिरामिड के आधार को सुदृढ़ करने तथा इस के शीर्ष पर स्थित व्यक्तियों को विश्व में सर्वोत्तम बनाये रखने की बात कही गयी है।

शिक्षा के संवैधानिक एवं नीतिगत निर्णयों से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण सम्प्रत्यय शैक्षिक अवसरों की समानता है। वस्तुतः "शैक्षिक अवसरों की समानता" के प्रत्यय के विकास में आर्थिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षा को एक "विनियोग" के रूप में स्वीकार किया गया है और विनियोग हेतु किया गया व्यय, उत्पादक व्ययों की श्रेणी में आता है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए समय–समय पर शिक्षा में व्यवसायिक विषयों का समावेश किया गया और इसके सुखद परिणाम भी दिखाई दिये। इसी क्रम में आर्थिक न्याय एवं समानता के आदर्श को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहृत करने पर इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि प्रत्येक व्यक्ति तक इसका वितरण समान मात्रा में हो सके, अतः सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर तक शिक्षा को वितरण योग्य वस्तु के रूप में स्वीकार कर इसे सभी व्यक्तियों की पहुँच के अंतर्गत लाने के हर संभव प्रयास किये गये। परंतु इस स्थल पर शिक्षाविदों के समक्ष एक नैतिकता मिश्रित महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि – "क्या शिक्षा को वितरण की वस्तु मानना उपयुक्त है ?"

यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जाय तो विद्यालय को शिक्षा रुपी वस्तु के वितरण के केन्द्र के रूप में, शिक्षक को विक्रेता के रूप में एवं छात्रों को ग्राहक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। शिक्षा की यह अवधारणा कम से कम भारतीय आध्यात्मिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के सर्वथा विपरीत एवं अग्राह्य होगी क्योंकि भारतीय संदर्भ में शिक्षा को सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं अपितु इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाले साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस कारण अर्थशास्त्र का समान वितरण का नियम इस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता।

भारत का संविधान भी अपने प्रत्येक नागरिक को अन्य क्षेत्रों में समानता के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है कि समानता संबंधी अनुच्छेद शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास में बाधक न बनें इसलिये संविधान में इन पक्षों के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जाने का मार्ग सुरक्षित रखा गया है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने भी शैक्षिक अवसरों की समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था–"शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है। ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिये शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें।"

शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएं बताई हैं–

(1) शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता।
(2) उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता।

उपर्युक्त दोनो प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिये आयोग ने निम्न सुझाव दिये–

निःशुल्क शिक्षा।
शिक्षा के खर्चों में कमी।
छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
छात्रवृत्तियों की योजनाएँ।

समानता, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा आयोग ने "समान विद्यालय प्रणाली" को राष्ट्रीय लक्ष्य मानने तथा इसे 20 वर्ष की अवधि में प्राप्त करने की बात कही थी परंतु यह अत्यंत खेद का विषय हे कि भाषायी, प्रांतीय, धार्मिक व राजनैतिक स्वार्थों के कारण इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके।

शैक्षिक अवसरों की समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नयी शिक्षा नीति में भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जिन वर्गों को अभी तक शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं मिल पायी है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों में निम्न सम्मिलित हैं–

महिलाएँ
पिछड़ी जातियां
पिछड़ी जनजातियां
अल्पसंख्यक
विकलांग

उपर्युक्त वर्गों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने, विद्यालय की समय सारिणी इन वर्गों की सुविधानुसार तय करने, पिछड़ी जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करने, इन वर्गों के युवाओं को शिक्षित कर उन्हें अध्ययन हेतु तैयार करने संबंधी सुझाव दिये गये। एक ओर जहाँ सरकार ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिये उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्य किये वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा किये गये कुछ कार्यों ने स्वयं ही असमानता को जन्म दिया। यथा – "गति निर्धारक विद्यालयों" की स्थापना। इस संदर्भ में विचारणीय बिंदु यह है कि एक ओर तो सरकार अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्रदान कर रहे पब्लिक स्कूलों की आलोचना कर रही थी तथा सभी को एकसमान शिक्षा प्रदान करने की पक्षधर थी, वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा स्थापित "गति निर्धारक विद्यालयों" और "केन्द्रीय विद्यालयों" में इन्हीं पब्लिक स्कूलों के समान ही शिक्षा दी जा रही थी।

शैक्षिक अवसरों की असमानता का दूसरा प्रमुख कारण है आरक्षण व्यवस्था। यह व्यवस्था आरम्भ में तो पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु केवल 10 वर्षों तक जारी रखने के लिये निर्धारित की गई थी परंतु बाद में इस व्यवस्था का प्रयोग राजनैतिक दल अपने जनाधार को और अधिक विस्तृत करने हेतु करने लगे। इस कारण यह व्यवस्था अपने लागू होने के लगभग 60 वर्षों तक न केवल जारी है अपितु समय–समय पर आगामी वर्षों हेतु बढ़ा दी जाती है। यह व्यवस्था वास्तव में पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक उत्थान हेतु आरंभ की गई थी परंतु वर्तमान समय में इसका लाभ इन वर्गों के जरूरतमंद व्यक्तियों को न मिलकर इन्ही वर्गों के उन व्यक्तियों को मिल रहा है जिनके पास अपने विकास के साधन पहले से ही मौजूद हैं। इस वर्ग ने आरक्षण व्यवस्था को 'लंगड़े की बैसाखी' के रूप में स्वीकार कर लिया है। राजनैतिक दलों ने भी स्वार्थवश इन वर्गों को शिक्षा के साथ–साथ नियोजन के अवसरों, प्रवेश, आयु, न्यूनतम अंकों एवं शुल्क संबंधी सभी छूट प्रदान की हैं। शिक्षा संस्थाएं इस बात का खुला उदाहरण हैं जहाँ एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर प्रधानाचार्य तक बनने के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा इन्ही वर्गों के छात्रों को प्रवेश शुल्क माफ या कम करने, आयु में, प्राप्तांकों में छूट देने एवं शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने जैसी अनगिनत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा करने में उनकी पहले से ही अच्छी आर्थिक स्थिति को अनदेखा कर दिया जाता है। जबकि इनके स्थान पर सामान्य वर्ग के निर्धन परंतु मेधावी छात्रों को इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित ही नहीं रखा जाता अपितु उनके विकास के अवसरों को भी सीमित कर दिया जाता है। अतः स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में योग्यता के हाथ निराशा ही लगती है।

वस्तुतः किसी पद अथवा शिक्षा के अनुकूल एवं जरूरतमंद होते हुए भी व्यक्ति का उस पद या शिक्षा को प्राप्त न कर पाना तथा उसी पद या शिक्षा के लिये निर्धारित योग्यता से कम योग्यता एवं कम आवश्यकता होने पर भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मात्र जातिगत आधार पर उस पद को प्राप्त कर लेने को न तो समानता के अंतर्गत रखना उचित है और न ही सामाजिक न्याय के। अतः गुणवत्ता युक्त शिक्षा की प्राप्ति हेतु योग्यता को आधार बनाना होगा न कि आरक्षण रूपी "बैसाखी" को। यदि आरक्षण को जारी ही रखना है तो इसका आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बनाना उचित होगा न कि उसकी जाति को। ऐसा करने से अवश्य ही शिक्षा का स्तर तो ऊँचा उठेगा ही, साथ ही साथ अस्पृश्यता, धार्मिक संकीर्णता एवं भेदभाव जैसी कुरीतियाँ भी समाप्त होंगी क्योंकि आरक्षण जैसी व्यवस्था इन कुरीतियों को कम नहीं कर रही है अपितु इन्हे बढ़ा ही रही है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था अनेक विसंगतियों एवं विरोधाभासों से घिरी हुई है। इसी कारण यह वर्तमान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान में भी इस हेतु विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। समय–समय पर इन अनुच्छेदों में आवश्यकतानुरुप संशोधन भी किये गये हैं । इन संशोधनों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयत्न किया गया है। दुर्भाग्यवश पूर्व निर्धारित शैक्षिक सुधारों को लागू न करने, नवीन शैक्षिक नीतियों का निर्माण न करने, शैक्षिक नीति निर्धारकों, शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों में उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धता का अभाव एवं क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के कारण निःशुल्क एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान दिवास्वप्न बनकर ही रह गया है। यदि भारत को ज्ञानवान समाज के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो यह आवश्यक है कि दृढ़ निश्चय, प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व की भावनाओं के साथ नवीन, व्यावहारिक एवं नम्य शैक्षिक नीतियों का सृजन कर शीघ्रता से उन्हें लागू किया जाय।

संदर्भ

1.अग्रवाल, जे. सी. (1991), नई शिक्षा नीति, दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, ।
2.अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006), भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदले आयाम, कुरुक्षेत्र, वर्ष 52, अंक 11, पृ. 7–14।
3.अरोड़ा, उदय प्रकाश (2009, जून 26), यों ही नहीं बनते हैं नालन्दा और तक्षशिला, अमर उजाला, नैनीताल संस्करण।
4.कपूर, निमिश (2009), साक्षात्कार : विश्वविद्यालय और समाज के बीच संवाद आवश्यक–यशपाल, योजना, वर्ष 53, अंक 9, पृ. 7–10।
5.चौरसिया, मुकेश (2009), भारत में उच्च शिक्षा : समस्याएं एवं समाधान, योजना, वर्ष 53, अंक 9, पृ. 27–30।

6.धर, प्रांजल (2006), शिक्षा : स्थिति और आयाम, कुरुक्षेत्र, वर्ष 52, अंक 11, पृ0 4–6।
7.नांगिया, विनीता दावरा (2009 नवम्बर 25), प्रीच मत करो पापा, प्लीज, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली संस्करण।
8.पनगड़िया, अरविंद (2009, नवम्बर 6), यूजीसी के नियंत्रण से बाहर करें हायर एजुकेशन, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली संस्करण।
9.पाण्डे, जयनारायण (2005), भारत का संविधान, इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी ।
10.पाठक, पी. डी. (1976), भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएं, द्वितीय संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर ।
11.पाठक, पी. डी. एवं त्यागी, जी. एस. (1976), शिक्षा आयोग, प्रथम संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर ।
12.पाण्डे, रामशकल (1991), नई शिक्षा नीति, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर ।
13.पित्रोदा, सैम (2009), ज्ञानवान समाज के निर्माण की ज़रूरत, योजना, वर्ष 53, अंक 9,पृ. 5–6।
14.प्रो. यशपाल से साक्षात्कार 5 जुलाई 2009 ज्ञान को मुक्त कीजिए, अमर उजाला, नैनीताल संस्करण।
15.प्रो. यशपाल से साक्षात्कार 12 जुलाई 2009 भरत कभी न बने अमेरिका, दैनिक जागरण, नैनीताल संस्करण।
16.बसु, दुर्गादास (1997), भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली : प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया ।
17.मिश्र, राम मिलन (2006), प्राथमिक शिक्षा : विजन 2020, कुरुक्षेत्र, वर्ष 52, अंक 11, पृ. 15–20।
18.रस्तोगी, कृष्णा गोपाल (1979), भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, मेरठ : रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़।
19.वाधवा, ममता (2007), लीगल पर्सपेक्टिव आफ एजुकेशन विद रेफरेन्स टू राइट टू एजुकेशन इन इण्डिया, एम. फिल. अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, दिल्ली विश्वविद्यालय।
20.विधि और न्याय मंत्रालय (1996), भारत का संविधान जून (1996) को यथाविद्यमान, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड।
21.शुक्ला, पी. डी. (1998), द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टरलिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।
22.संपादकीय (2009, जून 25) शिक्षा की दरिद्रता हटाएं, अमर उजाला, नैनीताल संस्करण।
23.सुनील (2009), शिक्षा अधिकार अधिनियम की समीक्षा, योजना, वर्ष 53, अंक 9, पृ. 17–19।

ललित मोहन जोशी
शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस. एस. जे. परिसर, अल्मोड़ा।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net